

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नं० 277/2022

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- बगसे खां, सुमानखां, इबरेखां पि.मुरीद समेखां रहीम खां पि बचूखां ,  
मु.टूगी बेवा बचूखां, मु. सरीफां बेवा नेकूखां, बरगतखां, अदीमखां  
पि. अकबर मु. हुरमत बेवा अकबर, अदरमीखां हनीफ खां, अहमद खां  
पि. मलेखां, मु. लादी बेवा., मलेखां, सबीयां पिरोजी वगै० सहित ग्राम  
खनौडा, के खसरा 121, 116, 438/99 व 382/119 के समस्त खातेदार।

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60,  
66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970


उपस्थिति :- 1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक :- 09.06.2023



प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। के क्रम में प्रस्तुत कर ग्राम खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा, भूअ.निरीक्षक बडनावा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) प्रस्तावित रास्ता ग्राम खिदुपुरा से खिदुपुरा मुख्यालय सरहद तक बारहमासी सड़क रास्ता चल रहा है ।

  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

(2)

उक्त बारहमासी रास्ता ग्राम खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा संख्या 121, 116, 438/99 व 382/119 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार ग्राम खिदुपुरा से खिदुपुरा मुख्यालय सरहद तक रास्ता को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार पचपदरा को मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ./ 2023/ 707 दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार प्रकरण में दिनांक 09.11.2023 को हल्का पटवारी खनौडा, हमराह सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा के साथ मौके पर पहुंचे, ग्राम खिदुपुरा के खसरा संख्या 121, 116, 438/99, 382/119 के सम्बन्ध में खसरा संख्या 121 में से 1.02 बीघा, 438/99 में से 0.05 बिस्वा, खसरा संख्या 116 में से 12 बिस्वा, खसरा संख्या 382/119 में से 1.02 बीघा रास्ता जो मौके पर ग्रेवल रोड बनी हुई है तथा मौके पर डामर रोड का कार्य चल रहा है। खसरा संख्या 382/119 व 121 में से दोनो तरफ रास्ता चल रहा है। खसरा संख्या 438/99 जो कि समर्पण भूमि है 5 बिस्वा भूमि है। मौका फर्द मौके पर बनाई गई जिस पर हल्का पटवारी, सरपंच खनौडा के हस्ताक्षर अंकित हैं।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई

बहस पर मनन किया गया जिसमें पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर




उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

(3)

पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।


उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा नं 121, 116, 438/99 व 382/119 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी रास्ता ग्राम खिदुपुरा से खिदुपुरा मुख्यालय सरहद तक बारहमासी तक चल रहे को प्रस्तावित तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ/ 2023/ 707 दिनांक 23.2.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 20.3.2023 व ट्रेस नक्शा अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश दिये जाते हैं। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते में ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ/ 2023/ 707 दिनांक 23.2.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 09.11.2022 व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।



  
(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा